राजेंद्र पुल की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू

- क्षतिग्रस्त राजेंद्र पुल की सड़क पर प्लेट रखकर बनाया गया कामचलाऊ
- पाया संख्या एक के पास जर्जर सड़क की ढलाई तोड़कर नये सिरे से होगा काम

प्रतिनिधि ▷ मोकामा

राजेंद्र पुल की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य रविवार से शुरू हुआ. फिलहाल पाया संख्या–एक के पास जर्जर सड़क की आधे भाग की ढलाई तोड़ी जा रही है, जबकि दूसरे भाग पर लोहे की मोटी चादर रखकर छोटे वाहनों को वन वे पार कराया जा रहा है. काम में जुटे कर्मियों ने बताया कि पुरानी सरिया को भी काटकर हटाया जायेगा. वहीं, नयी सरिया डालकर ढलाई का काम पूरा किया जायेगा. जर्जर सड़क को दो भागों में बांटकर मरम्मत का काम शुरू किया गया है. इससे छोटे वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. इधर, एक छोर से दूसरी छोर तक सड़क मार्ग की पड़ताल की जा रही है. पाया संख्या–एक के पास मरम्मत के बाद सड़क के क्षतिग्रस्त हुए अन्य जगहों को भी दुरुस्त किया जायेगा. सेतु के चार–पांच जगहों पर गड्ढे बनने व उसमें पानी जमने की शिकायत है. कर्मियों ने बताया कि पानी जमने के स्थान की ढलाई भी कमजोर पड़ गयी है. ऐसी जगहों को चिह्नित किया जा रहा है. पिछले दिनों एनएचआइ की टीम ने राजेंद्र पुल का जायजा लिया था. इस दौरान कर्मियों को मरम्मत कार्य को लेकर जरूरी निर्देश दिया गया था.

राजेंद्र पुल की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करते मजदूर.

छोटे मालवाहकों पर ओवरलोडिंग की जांच का एसडीओ ने पुलिस को दिया निर्देश

राजेंद्र पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद होने के बाद छोटे मालवाहक वाहनों से बालू की ढुलाई की जा रही है. इसको लेकर बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार ने स्थानीय पुलिस को छोटे मालवाहक वाहनों पर ओवर लोडिंग की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त राजेंद्र पुल की सड़क पर प्लेट रखकर कामचलाउ बनाया गया है ताकि छोटे वाहनों के आवागमन में परेशानी नहीं हो, लेकिन इसकी आड़ में धड़ल्ले से ट्रैक्टरों का परिचालन शुरू हो गया है. ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पर ओवर लोडिंग से जर्जर सड़क की स्थिति और ही बिगड़ सकती है. हथिदह थानेदार का कहना है कि ट्रैक्टर, ट्रीपर व अन्य छोटे वाहनों पर ओवर लोडिंग के खिलाफ राजेंद्र पुल के पास अभियान चलाया जा रहा है. इधर, विभागीय सूत्रों कहना है कि ट्रैक्टर को राजेंद्र पुल पर जाने की अनुमति बेगूसराय व आसपास के जिलों में बालू की किल्लत दूर करने के लिए दी गयी थी. यदि ट्रैक्टरचालकों ने ओवर लोडिंग करने की मनमानी बंद नहीं की तो ट्रैक्टरों को भी सेतु पर जाने से रोक दिया जायेगा.